Annexure – 15 Industry Department

Criteria for evaluating an application for land allotment available on Madhya Pradesh Rajya Audyogik Bhumi Evam Bhawan Prabandhan Niyam, 2015, Page - 6

(3) उददेश्य -

इन नियमों का उद्देश्य वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग के आधिपत्य की औद्योगिक भूमि, भवन/शेड का श्रेष्ठतम उपयोग किया जाना तथा इनका प्रभावी संधारण एवं प्रबंधन किया जाना है।

(4) <u>औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु पात्रता -</u>

1. निम्न उद्यमियों/इकाइयों को नवीन उद्योग की स्थापना, स्थापित इकाई के विस्तार एवं दर्शाई गई गतिविधियों/उपयोग के लिए भूमि, भवन/शेड का आवंटन किया जा सकेगा :-
   - (i) वृहद उद्योग इकाई ।
   - (ii) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई।
   - (iii) व्यवसायिक, आवासीय, वेयर हाऊसिंग आदि प्रयोजन।
   - (iv) उद्योग अनुषांगिक प्रयोजन ।
   - (v) भारत शासन/राज्य शासन अथवा उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित की जाने वाली औद्योगिक/सेवा/आनुषंगिक प्रयोजन इकाई।
   - (vi) नियमों के संलग्न **"परिशिष्ट-ए"** में वर्णित अति प्रदूषणकारी एवं खतरनाक श्रेणी के उद्योगों को सामान्यतः भूमि आवंटित नहीं की जावेगी, किन्तु इस श्रेणी के उद्योगों को उन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि, भवन/शेड आवंटन की पात्रता होगी, जिनमें ऐसे उद्योगों हेतु पृथक जोन चिन्हित किये गये हैं।
   - (vi) नियमों के संलग्न **"परिशिष्ट-बी"** में वर्णित गतिविधियाँ औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की पात्रता नहीं रखेंगी ।

2. राज्य शासन समुचित विचारोपरान्त उद्योग विभाग के स्वामित्व तथा आधिपत्य की भूमि पर औद्योगिक क्षेत्रों की सीमांओ तथा क्षेत्रफल का निर्धारण करेगा ओर उन्हे राजपत्र में अधिसूचित करेगा ।

3. आवंटन प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड का आवंटन सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार किया जावेगा। अभिन्यास में औदद्योगिक अनुषांगिक व्यवसायिक वेयर हाउसिंग तथा रहवासी क्षेत्रों को पृथक-पृथक दर्शाया जावेगा ।

4 औघोगिक अविकसित भूमि केवल औद्योगिक क्षेत्रो तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों को ही आवंटित की जा सकेगी ।